रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2311] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2012/अग्रहायण 8, 1934
No. 2311] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2012/AGRAHAYANA 8, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

(आय-कर)

का.आ. 2805(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (.....15वाँ.....संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त् नियम कहा गया है) के नियम 11 प में, --

(अ) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(क) " लेखाकार", --

(i) नियम 11पक के उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के अंतर्गत चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान के फैलो से अभिप्रेत है जो अधिनियम

की धारा 44कख के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन किसी लेखाकार के रूप में कंपनी द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ii) कोई अन्य की दशा में, अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए उसके स्पष्टीकरण के समान अर्थ होगा ।

(ख) " तुलनपत्र" से किसी कंपनी के संबंध में, अभिप्रेत है, --
(i) नियम 11पक के उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए ऐसी कंपनी का मूल्यांकन की तारीख को बनाया गया तुलन पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखों के भागरूप उसके प्ररूप भी है) जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 244 के अधीन नियुक्त कंपनी के लेखाकार द्वारा संपरीक्षित किया गया हो और जहां मूल्यांकन की तारीख को तुलनपत्र नहीं बनाया गया है, तुलन पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं के भागरूप भी है)मूल्यांकन की तत्काल पूर्ववर्ती तारीख को बनाई गई है जिसे कंपनी के शेयर धारकों की वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित और अंगीकृत किया गया है ;
(ii) किसी अन्य दशा में ऐसी कंपनी का तुलनपत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध टिप्पण और लेखाओं के भाग रूप भी है) जो मूल्यांकन की तारीख को बनाई गई है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन नियुक्त लेखाकार द्वारा सपरीक्षित किया गया है;';

(आ) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
' (ञ) " मूल्यांकन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको निर्धारिती द्वारा यथास्थिति, संपत्ति या प्रतिफल प्राप्त होता है ।'।

3. उक्त नियम के नियम 11पक को उपनियम (1) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा, --
(i) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के खंड (ग) में उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य, मूल्यांकन तारीख को ऐसे कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का मूल्य होगा जो निम्नलिखित रीति में अवधारित हो सके, अर्थात्:

$$\text{कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य} = \frac{\text{(क-ठ)}}{\text{(त ड)}} \times \text{(त फ)}$$

क = तुलन पत्र में किसी आस्ति का बही मूल्य आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा घटाए गए रूप में होगी और जो आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के परिशोधन रकम भी है जो किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ;

ठ = तुलनपत्र में दर्शित दायित्वों का बही मूल्य, जिसमें निम्नलिखित रकम सम्मिलित नहीं होगी, अर्थात् :-

(i) साधारण शेयरों के संबंध में संदत्त होंगी ;
(ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए पृथक रखी गई रकम जहां ऐसा लाभांश, कंपनी के साधारण निकाय की बैठक पर अंतरण की तारीख के पूर्व घोषित नहीं किया गया है;
(iii) अवक्षयण के लिए पृथक रखे गए आरक्षिती से भिन्न, आरक्षिति और अभिशेष, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, परिणामी अंक यदि ऋणात्मक है ;
(iv) कराधान के लिए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम, आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा घटाए गए रूप में होगी और जो आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के परिशोधन रकम भी है जो किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ;
(v) अभिनिश्चित, दायित्वों से भिन्न किन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम;

(vi) संचयी अधिमानी शेयरों के संबध में संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न, समआश्रित दायित्वों को पूरा करने के लिए का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई रकम;

तङ = संदत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम जिसे तुलनपत्र में दर्शित किया गया है

तफ = ऐसे साधारण शेयर का समादत्त मूल्य ;";

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (2) उपनियम (1) के खंड (ग) के उपखंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे बिना कोट किए साधारण शेयरों, मूल्यांकन की तारीख को मूल्य धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii ख) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (i) प्रयोजन के लिए बिना कोट किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य निर्धारिती के विकल्प पर खंड (क) या खंड (ख) के अधीन निम्नलिखित रीति से अवधारित होगा, अर्थात् :-

$$\text{कोट नहीं किए गए साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य} = \frac{(\text{क-ठ})}{(\text{त ङ})} \times (\text{त फ})$$

क = तुलन पत्र में किसी आस्ति का बही मूल्य आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा

घटाए गए रूप में होगी और जो आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के परिशोधन रकम भी है जो किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ;

ठ = तुलनपत्र में दर्शित दायित्वों का बही मूल्य, जिसमें निम्नलिखित रकम सम्मिलित नहीं होगी, अर्थात् :-

(i) साधारण शेयरों के संबंध में संदत्त होंगी ;

(ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांश के संदाय के लिए पृथक रखी गई रकम जहां ऐसा लाभांश, कंपनी के साधारण निकाय की बैठक पर अंतरण की तारीख के पूर्व घोषित नहीं किया गया है;

(iii) अवक्षयण के लिए पृथक रखे गए आरक्षिती से भिन्न, आरक्षिति और अभिशेष, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, परिणामी अंक यदि ऋणात्मक है ;

(iv) कराधान के लिए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम, आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कटौती या संग्रहण या अग्रिम कर के रूप में संदत्त की कोई रकम वापिसी के रूप में दावा करके रकम द्वारा घटाए गए रूप में होगी और जो आस्तियों के रूप में तुलनपत्र में दर्शाई गई कोई रकम जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय के परिशोधन रकम भी है जो किसी आस्ति की मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है ;

(v) अभिनिश्चित, दायित्वों से भिन्न किन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम;

(vi) संचयी अधिमानी शेयरों के संबध में संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न, समआश्रित दायित्वों को पूरा करने के लिए का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई रकम

तङ = संदत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम जिसे तुलनपत्र में दर्शित किया गया है

तफ = ऐसे साधारण शेयर का समादत्त मूल्य ; या

(ख) कोट नहीं किए गए साधारण शेयर का उचित बाजार मूल्य मितिकाटे पर मुक्त नकद प्रवाह पद्धति के अनुसार किसी वाणिज्यिक बैंककारी या किसी लेखाकार द्वारा अवधारित होगा ।

[अधिसूचना सं. 52/2012/फा. सं. 142/19/2012-एसओ (टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक

टिप्पण:—मूल अधिनियम अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 2365(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2012 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2012

(INCOME-TAX)

S.O. 2805(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (15th Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11U,—

(A) for clauses (a) and (b), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-

'(a) "accountant" ,-

(i) for the purposes of sub-rule (2) of rule 11UA, means a fellow of the Institute of Chartered Accountants of India within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) who is not appointed by the company as an auditor under Section 44AB of the Act or under Section 224 of the Companies Act , 1956 (1 of 1956); and

(ii) in any other case, shall have the same meaning as assigned to it in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288 of the Act;

(*b*) "balance-sheet", in relation to any company, means,-

(i) for the purposes of sub-rule (2) of rule 11UA, the balance-sheet of such company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the valuation date which has been audited by the

auditor of the company appointed under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and where the balance-sheet on the valuation date is not drawn up, the balance-sheet (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) drawn up as on a date immediately preceding the valuation date which has been approved and adopted in the annual general meeting of the shareholders of the company; and

(ii) in any other case, the balance-sheet of such company (including the notes annexed thereto and forming part of the accounts) as drawn up on the valuation date which has been audited by the auditor appointed under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);';

(B) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely:-

'(*j*) "valuation date" means the date on which the property or consideration, as the case may be, is received by the assessee.'.

3. The rule 11UA of the said rules shall be renumbered as sub-rule (1) thereof,-

(i) in sub-rule (1) as so renumbered, in clause (c), for sub-clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) the fair market value of unquoted equity shares shall be the value, on the valuation date, of such unquoted equity shares as determined in the following manner, namely:—

$$\text{the fair market value of unquoted equity shares} = \frac{(A - L)}{(PE)} \times (PV),$$

where,

A = book value of the assets in the balance-sheet as reduced by any amount of tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund under the Income-tax Act and any amount shown in the balance-sheet as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

L = book value of liabilities shown in the balance-sheet, but not including the following amounts, namely:—

(i) the paid-up capital in respect of equity shares;

(ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such dividends have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company;

(iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;

(iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund under the Income-tax Act, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;

(v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;

(vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares;

PE = total amount of paid up equity share capital as shown in the balance-sheet;

PV = the paid up value of such equity shares;";

(ii) after the sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (*b*) of clause (*c*) of sub-rule (1), the fair market value of unquoted equity shares for the purposes of sub-clause (*i*) of clause (*a*) of *Explanation* to clause (*viib*) of sub-section (2) of section 56 shall be the value, on the valuation date, of such unquoted equity shares as determined in the following manner under clause (a) or clause (b), at the option of the assessee, namely:—

(a) the fair market value of unquoted equity shares = $\frac{(A - L)}{(PE)} \times (PV)$,

where,

A = book value of the assets in the balance-sheet as reduced by any amount of tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund under the Income-tax Act and any amount shown in the balance-sheet as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

L = book value of liabilities shown in the balance-sheet, but not including the following amounts, namely:—

(i) the paid-up capital in respect of equity shares;

(ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares where such dividends have not been declared before the date of transfer at a general body meeting of the company;

(iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;

(iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of tax paid as deduction or collection at source or as advance tax payment as reduced by the amount of tax claimed as refund as refund under the Income-tax Act, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;

(v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;

(vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares;

PE = total amount of paid up equity share capital as shown in the balance-sheet;

PV = the paid up value of such equity shares; or

(b) the fair market value of the unquoted equity shares determined by a merchant banker or an accountant as per the Discounted Free Cash Flow method.".

[Notification No. 52/2012/F. No. 142/19/2012-SO(TPL)]

RAJESH KUMAR BHOOT, Director

Note:—The principal rules were published *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O. 2365(E), dated 4th October, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.